REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239266 CG-DL-E-01102022-239266

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

## सं. 4403] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944 No. 4403] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

**का.आ. 4611(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
624	544 जी	कोंडीकोंडा चेकपोस्ट (कोडुर गांव) के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सेट्टीपल्ले, नल्लमदा, ओडुलापल्ले, डोरीगल्लु, वेलपुला, उलीमेला, मुथुकुरु, सोमापुरम, पापीरेड्डीपल्ले, कवुलाकुंतला, सीतारामपुरम, गुंडुपल्ले, उप्पलापाडु, मारिपुडी, और इसके साथ, गुंडुपल्ले, उप्पलापाडु, मारिपुडी, थालुर, कुनकुपाडु, अडांकी को जोड़ने वाला और आंध्र प्रदेश राज्य में <b>(बेंगलुरु-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा)</b> मुप्पावरम गांव के पास रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के लिए अनुसूची का प्रतिस्थापन, अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत किया गया था जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद अधिसूचना सं. का.आ. 3851(अ), दिनांकित 17 अगस्त 2022 के तहत इसे आगे और संशोधित किया गया था।

> [फा.सं.एनएच-14012/7/2022-पी एंड एम] राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

**S.O. 4611(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
624	544G	The highway starting from its junction with NH-44 near Kondikonda Checkpost (Kodur Village) connecting Settipalle, Nallamada, Odulapalle, Dorigallu, Velpula, Ulimella, Muthukuru, Somapuram, Papireddipalle, Kavulakuntla, Seetharamapuram, Gundupalle, Uppalapadu, Vangapadu, Marripudi, Thallur, Kunkupadu, Addanki and terminating at its junction with NH-16 near Muppavaram village in the State of Andhra Pradesh ( <b>Part of Bengaluru- Vijayawada Economic Corridor</b> ).

**Footnote:** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 3851(E), dated 17<sup>th</sup> August 2022

[F. No. NH-14012/7/2022-P&M] RAJESH GUPTA, Director